फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

देवेन्द्र सिंह बनाम रेशमसिंह व अन्य

मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. चक 15 एलएनपी

किस्म मुकदमा मु.माल ...118.../2019

9-2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर स्थगन जारी किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी श्री रेशम सिंह की ओर से पूर्व में इसी भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 05 सितम्बर, 2019 को इस न्यायालय में केवियट प्रस्तुत की गई थी। लिहाजा वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी रेशमसिंह को स्थगन बाबत सुनना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश सिंधी बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. हेतु उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. के अनुसार प्रार्थी के परदादा के पास भादवांवाली(राजस्थान) में कृषि भूमि थी, जो कि विरास्तन प्रार्थी के दादा स्व0 नाहर सिंह को प्राप्त हुई तथा नाहर सिंह ने इस जद्दी जायदाद की आय से अन्य के अलावा चक 15 एल एन पी द्वितीय ए तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 49/46, मु0 न0 10,11,12,22,23 की कुल 5.425 हे0 भूमि बनायी गई, जो कि प्रार्थी के दादा स्व0 नाहर सिंह व उसके दो पुत्रों अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा दो पुत्रीयों अप्रार्थी सं0 3 व 4 के संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 2 का 1/4 हिस्सा बना, नाहर सिंह की मृत्यु दिनांक 29.07.19 को हुई, मृत्यु प्रमाण–पत्र व वारिस प्रमाण–पत्र की नकलें शामिल है। इस प्रकार स्व0 नाहर सिंह व उसकी पत्नी महेन्द्र कौर की मृत्यु के उपरांत स्व0 नाहर सिंह के चार वारिसान अप्रार्थी सं0 1 ता 4 बहिस्सा बराबर होने से प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं0 2 ता 1/4 हिस्सा बना, जद्दी जायदाद होने से बंता सिंह के हिस्सा में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 5 बहिस्सा बराबर के हकदार हुए, अतः प्रार्थी का जद्दी जायदाद में जन्म से हक हिस्सा होने से उपरोक्त 5.425 हे0 के 1/4 हिस्सा में 1/3 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी सं0 5,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के साथ सहमत है तथा उसने मौखिक पारिवारिक समझौता में अपना हक हिस्सा भी प्रार्थी के हक में छोडा हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि के 1/4 हिस्सा में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा बनता है, कब्जा मुश्तरका चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 बहुत चुस्त व चालाक व्यक्ति है तथा उसने प्रार्थी के दादा स्व0 नाहर सिंह को अपने अनुचित प्रभाव में लेकर तथा नाहर सिंह जो कि शराब व अन्य नशों का आदी था की इस अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर चुपचाप धोखे से प्रार्थी के दादा नाहर सिंह से 4 बीघा भूमि जरिये उपहारदृ पत्र अपने नाम दर्ज करवा ली, जो कि इंतकाल सं0 623/21.07.14 के अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि प्रार्थी के दादा को बिना प्रार्थी व उसके पिता की सहमति व बिना विभाजन करवाये कानूनन किसी भूमि को मुंतकिल करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथित उपहार–पत्र शुरू से शून्य होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है। प्रार्थी के दादा के देहांत के बाद अब पता चला है कि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी के दादा की उपरोक्त स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर धोखा से अथवा अनुचित दबाव से प्रार्थी के दादा से कोई तथाकथित वसीयत शेष भूमि की अपने नाम करवा ली है क्योकि अब अप्रार्थी सं0 1 शेष भूमि का इंतकाल करवाकर भूमि को मुंतकिल करने के प्रयास में है, रोकने पर स्पष्ट कहा कि समस्त भूमि उसने अपने पिता से अपने नाम करवा रखी है, अतः यदि वह अपने गलत मकसद में सफल हो गया तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, वह अपने हक हिस्सा से वंचित होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ताफैंसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी सं0 1 इस अमर की सादिर की जावें कि अप्रार्थी सं0 1, चक 15 एल एन पी द्वितीय तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 49/46, मु0 न0 10 के किला न0 7 ता 9, 11 ता 13, 18 ता 22, मु0 न0 11 के किला न0 1/2, 9/2, 13/2, 14 ता 16, 17/1, 25/1, मु0 न0 12 के किला न0 21,22, मु0 न0 22 के किला न0 13, मु0 न0 23 के किला न0 1, 9/2, 10 ता 12 की कुल 5.425 हे0 में से किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने, वादी को जबरन बेदखल करने/करवाने से बाज व ममनु रहे।

बहस वकील उभ्यपक्ष सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस फार्म नंबर 3 के साथ अभिलेख –

Scanned by CamScanner

बंद वसीयत दिनांक 12.03.2019, रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 02.04.1980, रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 03.04.1980, रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 29.08.1998, रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 24.05.1979 की फोटो प्रति पेश की जिनका अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए उक्त भूमि पर स्थगन जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। दूसरी तरफ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के विरास्त होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया और ना ही प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है भूमि रजिस्टर्ड बैयनामा के जरिए खरीदशुदा है व अप्रार्थी संख्या 1 एवम् नाहरसिंह की स्वयं अर्जीत एवं खरीदशुदा भूमि है। वसीयत की गई भूमि पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है तथा वसीयत सक्षम अधिकारी जिला पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार नहीं है जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपरिमेय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं जाता। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि जरिए बैयनामा, बंद वसीयत एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्राप्तकर्ता है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के विरास्तन बाबत ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त भूमि विरास्तन है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी हो। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर शामिल मूल वाद संख्या 118/2019 बअनवान देवेन्द्र सिंह बनाम रेशमसिंह व अन्य रहे।

(मुकेश बायल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner